उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 147/2022 अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मदनसिंह पुत्र खुमाणसिंह 2. दुर्जनसिंह पुत्र खुमाणसिंह 3. दीपसिंह पुत्र खुमाणसिंह 4. गजेसिंह पुत्र नीम्बराजसिंह 5. सरूपसिंह पुत्र नीम्बराजसिंह 6. उदयकंवर पत्नी नीम्बराजसिंह जाति राजपुत, निवासी हाथीसिंह का गांव तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2. चुतरसिंह पुत्र नरसिंह 3. ओनाड़सिंह पुत्र नरसिंह जाति राजपुत, निवासी हाथीसिंह का गांव तहसील शिव, जिला बाड़मेर 4. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शिव

उपस्थित :— 1. अधिवक्ता प्रार्थीगण :— श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 02.08.2023

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि ग्राम मतुजा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 112 रकबा 18.1299 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी भूमि एवं खसरा नम्बर 374/112 रकबा 17.1586 हैक्टेयर विप्रार्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी भूमि आई हुई है। उक्त विवादित आराजी मूल खसरा नम्बर 112 का भाग थी, जो पक्षकारान् के मध्य आपसी सहमति से विभाजन होने से नये खसरो का सृजन हुआ है। उक्त विवादित आराजी में सहमति विभाजन होने पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौके पर नहीं जाकर कैम्प में ही नक्शा तैयार करने से मौका स्थिति एवं वर्तमान तरमीम में एकरूपता नहीं है। प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त एवं वर्तमान रेकर्ड के लट्ठा नक्शा की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई गलत तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर माफिक कब्जाकाश्त अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर समस्त खातेदारान् को सुचित किया जाकर जांच की गई। वर्तमान तरमीम एवं मौके पर कब्जा काश्त में भिन्नता होने से परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने बाबत् उभयपक्ष प्रभावित खातेदारान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है। प्रार्थीगण तथा विप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा पूर्व में ही न्यायालय में उपस्थिति होकर सहमति प्रदान की गई है।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा लट्ठा नक्शा में विवादित आराजी की विद्यमान तरमीम को निरस्त कर मौके पर पक्षकारान् के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती को प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव
सत्यमेव जयते
जिला-बाड़मेर

गया है तथा समस्त प्रभावित खातेदारान् द्वारा भी न्यायालय में उपस्थित होकर तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत सहमति प्रदान की जाकर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ किये गये है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तदनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मतुजा, पटवार मण्डल हाथीसिंह का गांव, तहसील शिव के खसरा नम्बर 112, 374/112 रकबा क्रमशः 18.1299, 17.1586 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तदनुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 02.08.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner